राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4( )चार्ज/विधि/पंरा/2016/534 जयपुर, दिनांकः 01-7-2016

:: परिपत्र ::

विषयः—सक्षम न्यायालय द्वारा सरपंच पद के चुनावों को अवैध/शून्य घोषित किये जाने बाबत।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि विभिन्न जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सक्षम न्यायालयों में दायर चुनाव याचिकाओं में संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के चुनावों को शून्य घोषित किये जाने बाबत पारित आदेशों की प्रतियां पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर, अग्रिम कार्रवाई किये जाने बाबत मार्गदर्शन चाहा जा रहा है ।

उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 में माननीय न्यायालय के आदेशों बाबत प्रावधान विद्यमान हैं तथा इसी नियम 87 के उप–नियम (2) के अनुसार **"न्यायाधीश, उप–नियम (1) के अधीन पारित आदेश सुनाने के पश्चात उसकी एक प्रति ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को उसके अनुसरण में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजेगा ।"** इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्वाचन शून्य किया जाता है तो आगामी कार्रवाई अर्थात पद रिक्त आदि की घोषणा ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की जायेगी ।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कोई भी प्रकरण पंचायती राज विभाग को प्रेषित नहीं किया जाये। ऐसे प्रकरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रकरणों में पद रिक्त की घोषणा करते हुए, रिक्त हुए सरपंच पदो के कार्यभार अविलम्ब संबंधित को सम्भलवाने की कार्यवाही की जायेगी तथा की गई कार्रवाई से इरा विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया जायेगा ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर ।
4. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
5. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)